यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) - तृतीय, राज्य कर, काशीपुर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) - तृतीय, राज्य कर, काशीपुर के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्रीमती रेखा, श्री रमेश कुमार केशरी, श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 20.10.2018 से 30.10.2018 तक श्री अशोक कुमार लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एफ.आर.खान. वरिष्ठ लेखापरीक्षक एवं श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, श्री गोविन्द कुमार सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 08.11.2017 से 16.11.2017 तक श्री के.एल. भट्ट, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** जसपुर, नेदही धामपुर, कुण्डा गढ़ी नेगी का बाया हिस्सा, अनायमणी सहित ठेलानदी के पुल तक, बैलपुडी के पास ठेलानदी

(ii) (अ) **राजस्व विवरणः**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	2016.55
2016-17	2180.21
2017-18	483.44

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	आवंटित बजट राशि (₹)		व्यय राशि (₹)		अवशेष/समर्पण (₹)	
	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत
2015-16						
2016-17			N.A			
2017-18						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- उप आयुक्त- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) - तृतीय, राज्य कर, काशीपुर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: **03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।**

व्यय: **- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।**

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2(ब)

प्रस्तर 04- आई.टी.सी. रिवर्स नही किये जाना एवं अर्थदण्ड के अनारोपण से राजस्व क्षति ₹15.72 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 6(2) के अनुसार इनपुट टैक्स का लाभ, जिसके लिये पंजीकृत व्यौहारी हकदार होगा, कर की वह धनराशि होगी, जो कर अवधि के दैरान ऐसे प्रयोजन हेतु एवं ऐसी शर्तों के आधीन रहते हुए जैसा कि इस धारा में विनिर्दिष्ट है किये गये क्रय के क्रय धन पर पंजीकृत व्यौहारी द्वारा विक्रेता व्यौहारी को भुगतान किया गया और जिसके कारण ऐसी रीति से की जायेगी जैसा कि विहित की जाये।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 58(xi) के अनुसार इनपुट टैक्स लाभ के रूप में किसि धनराशि का गलत दावा करता है, या किसी मिथ्या बिक्री बीजक के आधार पर इनपुट टैक्स के लाभ का दावा करता है, तो 5000.00 या दावाकृत धनराशि के तीन गुना जो अधिक हो के अर्थदण्ड का भागी होगा।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) खण्ड-3 राज्यकर काशीपुर के माह 04/2017 से 03/2018 तक के अभिलेखों की जॉच के दौरान पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री अग्रवाल ब्रदर्स जसपुर टिन 05002265751 कर नर्धारण वर्ष 2013-14 की पत्रावली के अनुसार विभाग में सीमेंट व आयरन की खरीद बिक्री के लिये पंजीकृत है। संगतवर्ष में 55439466.00 की बिक्री पर ₹7137890.00 कर निर्धारित किया गया। पत्रावली की जॉच में पाया गया कि संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा सीमेंट की खरीद पर 29,11,829.00 की डिस्काउंट के तहत कम की गयी। इस पर आई.टी.सी. सिवर्स नहीं किया गया। क्रेडिट नोट से यह स्पष्ट नही हो पा रहा है कि विक्रेता फर्म द्वारा इस क्रेडिट नोट/ डिस्काउन्ट की धनराशि पर कर की अदायगी की गयी या नही? अतः दिये गये डिस्काउन्ट पर विक्रेता फर्म द्वारा टैक्स अदायगी के प्रमाण के अभाव में आई.टी.सी. रिवर्स होनी थी, जो रिवर्स नही की गयी, जिसके कारण ₹3,93,097.00 (2911829 x 13.5%) भी अरोपणीय होना था।

उपरोक्त अनियमत आई.टी.सी. रिवर्स नहीं किये जाना एवं अर्थदण्ड के अनारोपण 15,72,388.00 (3,93,097+11,79,291) के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा के इंगित करने पर विभाग द्वारा जॉचोपरान्त कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को अवगत कराने की टिप्पणी की गयी।

अतः उक्त प्रकरण शासन/ उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग- 2 (ब)

प्रस्तर-1 देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 16.00 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम-11 (1) के सारणी क्रमांक 1 के अनुसार, ऐसे ब्यौहारी जिनका पूर्ववर्ती वर्ष में ` 50 लाख से अधिक का आवर्त रहा है, वह **कर**, समाधान धनराशि विलम्ब शुल्क, ब्याज अथवा स्रोत पर कटौती का भुगतान मासिक, ई-पेमेन्ट द्वारा उत्तरवर्ती माह की 25 तारीख तक जमा करेगा ।

अधिसूचना संख्या 327/2014/181(120)/XXVII(8)/08 दिनांक 26.03.2014 के द्वारा वर्ष 2014-15 से **कर**, समाधान धनराशि, विलम्ब शुल्क, ब्याज अथवा स्रोत पर कटौती का भुगतान मासिक, ई-पेमेन्ट द्वारा उत्तरवर्ती माह की 20 तारीख तक जमा करेगा ।

पुनः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 (1) (vii) (ख) में प्रावधान है कि यदि कर निर्धारक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि किसी ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर, अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है, तो वह ऐसी जांच के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा ब्यौहारी या व्यक्ति उसके द्वारा देय कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में देय कर का कम से कम दस प्रतिशत, किन्तु अधिक से अधिक पच्चीस प्रतिशत, यदि कर दस हजार रूपये तक हो, और देय कर का पचास प्रतिशत, यदि कर दस हजार रूपये से अधिक हो, उल्लिखित धनराशि का भुगतान करेगा ।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-तृतीय, वाणिज्य कर/राज्य कर विभाग, काशीपुर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि **संलग्नक-'क'** में उल्लिखित व्यापारियों द्वारा युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर, अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है । अतः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की उपरोक्त धारा-58(1)(vii) के अनुसार ` 16,00,783 (अर्थात् ` 16.00 लाख) का अर्थदण्ड आरोपणीय है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा सभी प्रकरणों में बताया गया कि नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराया जायेगा ।

अतः देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड ₹16.00 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

संलग्नक – "क"

देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

क्रम सं0	ब्यौहारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर की राशि (`)	कर जमा करने की निर्धारित तिथि	कर जमा करने की वास्तविक तिथि	विलम्ब	अर्थदण्ड (कर का न्यूनतम 10%) (`)
1.	सर्वश्री बख्शी राइस मिल, जसपुर, काशीपुर । (टिन नं0 05002285442)	2015-16	04/2015	82,074	20.05.2015	20.07.2015	2 माह	8,207
			03/2016	48,365	20.04.2016	01.08.2016	3 माह 11 दिन	4,837
2.	मेसर्स शिव एग्रो सीड्स कारपोरेशन, जसपुर, काशीपुर । (टिन नं0 05002436083)	2014-15	10/2014	1,23,750	20.11.2014	25.11.2014	5 दिन	12,375
			11/2014	3,00,000	20.12.2014	22.12.2014	2 दिन	30,000
			12/2014	3,72,500	20.01.2015	24.01.2015	4 दिन	37,250
			01/2015	1,76,000	20.02.2015	23.02.2015	3 दिन	17,600
3.	मेसर्स रामस्वरूप एण्ड कम्पनी, नवीन मण्डी, काशीपुर । (टिन नं0 05002411445)	2014-15	12/2014	11,245 (CST) 2,27,046 (VAT) 2,38,291 (TOTAL)	20.01.2015	22.01.2015	2 दिन	23,829
4.	मेसर्स गुरूनानक ट्रेडर्स, अनाज मण्डी, मुरादाबाद रोड, काशीपुर ।	2015-16	06/2015	25,760	20.07.2015	24.07.2015	4 दिन	2,576
			12/2015	60,510	20.01.2016	12.04.2016	2 माह 22 दिन	6,051

	(टिन नं0 05012105043)							
5.	मेसर्स बाबा अजीत सिंह इण्डस्ट्रीज, जसपुर, काशीपुर । (टिन नं0 05011434482)	2015-16	01/2016	16,21,700	20.02.2016	22.02.2016	2 दिन	1,62,170
6.	मेसर्स बाबा जुझार सिंह इण्डस्ट्रीज, जसपुर, काशीपुर । (टिन नं0 05013058650)	2015-16	01/2016	13,90,145	20.02.2016	22.02.2016	2 दिन	1,39,015
7.	मेसर्स देवऋषि पेपर्स प्रा0 लि0, जसपुर, काशीपुर । (टिन नं0 05005930605)	2013-14	04/2013	1,50,990 (CST) 5,29,685 (VAT) 6,80,675 (TOTAL)	20.05.2014	28.05.2014	8 दिन	68,068
			07/2013	1,28,429 (CST) 4,74,489 (VAT) 6,02,918 (TOTAL)	20.08.2013	27.08.2013	7 दिन	60,292
			10/2013	1,96,896 (CST) 3,84,739 (VAT) 5,81,635 (TOTAL)	20.11.2013	30.11.2013	10 दिन	58,164
			11/2013	2,17,520 (CST)	20.12.2013	31.12.2013	11 दिन	21,752
							Sub Total (i)	**6,52,186**
8.	सर्वश्री विश्वनाथ पेपर एंड बोर्ड लि0 जसपुर (टिन नं0 05007600751)	2013-14	08/2013	3,35,481 (CST) 34,85,821 (VAT) 38,21,302 (TOTAL)	25.09.2013	30.09.2013	5 दिन	3,82,130

			01/2014	23,12,002 (VAT)	25.02.2014	28.02.2014	3 दिन	2,31,200
			02/2014	2,35,132 (VAT)	25.03.2014	27.03.2014	2 दिन	23,513
			02/2014	15,00,923 (VAT)	25.03.2014	27.03.2014	2 दिन	1,50,092
			02/2014	16,16,617 (VAT)	25.03.2014	28.03.2014	3 दिन	1,61,662
							Sub Total (ii)	**9,48,597**
							Grand Total [(i)+(ii)]	**16,00,783/-**

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 2 अर्थदण्ड का अनारोपण 6.00 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 58(1) (**xix)** के अनुसार धारा 48 या धारा 49 के उपबंधो का उल्लंघन करके माल का आयात या परिवहन करता है या आयात या परिवहन करने का प्रयत्न करता है या आयात या परिवहन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है। तो अंतर्ग्रस्त माल की कीमत के 40 प्रतिशत से अनधिक राशि या इस अधिनियम के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो अधिरोपित होगा।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-3 (जसपुर), राज्य कर, काशीपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री इंडियन ट्रेडिंग कंपनी, जसपुर टिन सं. 05013142361 कर निर्धारण वर्ष 2014-15 में 14.08.2014 के बाद चीनी की आयातित खरीद की गयी थी। 14.08.2014 से चीनी के आयात पर 2.5 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर देय था। संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा 15,00,000 की चीनी आयात करना स्वीकार किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना आयात घोषणा पत्र के चीनी आयात करने पर वैट एक्ट की धारा 48(8) के अंतर्गत अर्थदण्ड की कार्यवाही किए जाने हेतु अपने आदेश में उल्लेख किया गया था। लगभग 6 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी अर्थदण्ड की कार्यवाही नहीं की गयी थी। अतः उक्त धनराशि ₹15,00,000 का 40 प्रतिशत अर्थदण्ड ₹6,00,000 व्यापारी पर आरोपणीय था।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया। अतः ₹6.00 लाख का अर्थदण्ड आरोपित न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

<u>भाग- 2 (ब)</u>

प्रस्तर-3 अर्थदण्ड का अनारोपण ` 1.98 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58(1)(xi) के अनुसार, यदि कोई ब्यौहारी मिथ्या या गलत आई0 टी0 सी0 का दावा करता है, तो ` 5,000 अथवा मिथ्या या गलत आई0 टी0 सी0 का तीन गुना, जो भी अधिक हो, अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करेगा ।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-तृतीय, राज्य कर विभाग, काशीपुर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री देवऋषि पेपर्स प्रा0 लि0, जसपुर, काशीपुर, टिन नं0 05005930605 कर निर्धारण वर्ष 2013-14 की पत्रावली/कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.04.2017 की जांच में पाया गया कि कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा व्यापारी द्वारा क्लेम्ड आई0टी0सी0 का सत्यापन कराने पर ` 65,994 की आई0टी0सी0 असत्यापित होने पर अस्वीकार कर दिया गया ।

परन्तु उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की उपरोक्त धारा 58 (1) (xi) के अनुसार, मिथ्या या गलत आई0टी0सी0 का तीन गुना अर्थात् ` 1,97,982 (` 65,994 x 3) अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अवगत कराया जायेगा ।

अतः व्यापारी द्वारा मिथ्या या गलत आई0 टी0 सी0 का दावा करने पर अर्थदण्ड ₹1.98 लाख के अनारोपण का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
सी0टी0-34/2014-15	-	01(1)	-
सी0टी0-12/2015-16	-	01,02 (2)	
सी0टी0-39/2016-17	01,02 (2)	01,02,03 (3)	
सी0टी0-104/2017-18	01,(1)	01,02,03 (3)	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	प्रस्तर	अनुपालन आख्या
सी.टी.-34/2014-15	-	01,02 (2)	1 अर्थदण्ड का अनारोपण ₹2.62 लाख। 2 अग्रवाल मेडिकल स्टोर अर्थदण्ड का अनारोपण।	उक्त प्रकरण इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
सी.टी.-12/2015-16	-	-		उक्त प्रकरण डिप्टी कमिश्नर (क.नि.)-4(बाजपुर) काशीपुर से सम्बन्धित है।
सी.टी-39/2016-17	प्रस्तर-1	-	कम दर से करारोपण से राजस्व क्षति रू 38.44 लाख।	उक्त प्रकरण डिप्टी कमिश्नर (क.नि.)-2(महुआखेड़ा) काशीपुर/डिप्टी कमिश्नर(क.नि.)-4(बाजपुर) काशीपुर से सम्बन्धित है।
	प्रस्तर-2		अनियमित आई.टी.सी. अनुमन्य किया जाना रू 15.25 लाख।	उक्त प्रकरण डिप्टी कमिश्नर (क.नि.)-4(बाजपुर) काशीपुर से सम्बन्धित है।
		प्रस्तर-1	अनियमित आई.टी.सी. को अनुमन्य किया जाना रू 0.57 लाख तथा अनियमित आई.टीसी. पर अर्थदण्ड का अनारोपण रू 1.70 लाख।	उक्त प्रकरण माननीय ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) में विचाराधीन है।
		प्रस्तर-2		उक्त प्रकरण माननीय ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) में विचाराधीन है।
		प्रस्तर-3	अर्थदण्ड का अनारोपण रू 0.39 लाख	उक्त प्रकरण डिप्टी कमिस्नर(क.नि.)-2(महुआखेडा) काशीपुर से सम्बन्धित है।
सी.टी.-104/2017-18	प्रस्तर-01		अर्थदण्ड के अनारोपण से राजस्व क्षति रू 15.92	कार्यवाही गतिमान है।
		प्रस्तर-01	आई.टी.सी को reverse न किये जाने से राजस्व क्षति रू. 23809.00	कार्यवाही गतिमान है।
		प्रस्तर-02	कोषागार के सीटीआर में जमा धनराशि का मिलान न होना।	इस कार्यालय की यूजर आई.डी. पर उपलब्ध दैनिक संग्रह पंजिका के अनुसार जमा का विवरण संलग्न है।
		प्रस्तर-03	अर्थदण्ड का आरोपण न किए जाने से राजस्व क्षति रू 4.03 लाख।	कार्यवाही गतिमान है।

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) - तृतीय, राज्य कर, काशीपुर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री नीरज कुमार गुप्ता	उपायुक्त

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) - तृतीय, राज्य कर, काशीपुर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र